



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]

सर्क. दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 26, 1994/वैशाख 6, 1916

No. 181]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 26, 1994/VAISAKHA 6, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1994

सा.का.ति. 415(अ).—केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और वस्तु निष्कारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना एस.ओ. सं. 544(ई) तारीख 24 जुलाई, 1992 को अधिकांश करते हुए, एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

अधक्ष :

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी. बंधवा, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय

संख्या :

2. माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. के. बाहरी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय
3. माननीय न्यायमूर्ति श्री एम. एल. जैन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय

[फा. सं. 674/1/94-सीमाशुल्क-VIII]^क

जे. एल. पाहनी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 1994

G.S.R. 415(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) S. No. 544(E), dated the 24th July, 1992, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board consisting of

CHAIRMAN

- 1 Hon'ble Mr. Justice D. P. Wadhwa, Judge of the Delhi High Court.

MEMBERS

2. Hon'ble Mr. Justice P. K. Bahri, Judge of the Delhi High Court.
3. Hon'ble Mr. Justice M. I. Jain, Retired Judge of the Delhi High Court.

[F. No. 674/1/94-CUS. VIII]
J. L.SAWHNEY, Under Secy.